आज ही भेजें

दिल्ली परिवहन निगम

(रा0 रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट : नई दिल्ली–110002
राजभाषा विभाग (मुख्यालय)

संख्या–रा0 भा0 वि0/हि0प0/2018/27 दिनांक 13 सितम्बर, 2018

:परिपत्र:

विषयः– हिन्दी निबंध एवं हिन्दी सुलेख प्रतियोगिताएं।

दिल्ली परिवहन निगम में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने, इसका प्रचार–प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से निगम में दिनांक 14–09–2018 से 28–09–2018 तक **'हिन्दी पखवाड़ा'** मनाया जा रहा है। इस दौरान राजभाषा विभाग द्वारा ***दिनांक 19–09–2018 को हिन्दी निबंध प्रतियोगिता तथा दिनांक 20–09–2018 को हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।*** इस प्रतियोगिता में चतुर्थ श्रेणी से लेकर अधिकारी तक सभी भाग ले सकते हैं। हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का समय 5 मिनट का होगा तथा अंक 100 होंगे तथा हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का समय डेढ़ घण्टा तथा अंक 100 होंगे। निबंध कम से कम 400 शब्दों का होना आवश्यक है। ***ये दोनों प्रतियोगिताएं पीरागढ़ी डिपो, नन्द नगरी डिपो तथा इन्द्रप्रस्थ डिपो स्थित हिन्दी अनुभाग के परीक्षा केन्द्रों पर 11.00 बजे से सायं 16.00 बजे तक*** (सुलेख के लिए 5–5 मिनट के अन्तराल में तथा निबंध के लिए 1.30 घण्टे के अंतराल में) होंगी। इस सम्बन्ध में पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति पत्र आदि के बारे में नियम तथा शर्तें इस पत्र के पिछली ओर दी गई हैं।

सभी विभाग प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनिट/अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय से जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें तथा प्रतियोगिता स्थल अर्थात् पीरागढ़ी डिपो एवं नन्दनगरी डिपो के डिपो प्रबन्धकों से अपेक्षित है कि वे उक्त तिथियों को इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का यथोचित सहयोग करें।

यूनिट/अनुभाग अधिकारी इन प्रतियोगिताओं का प्रचार केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से भी कराने का कष्ट करें। हिन्दी अनुभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा चयन समिति के सदस्य इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे।

संलग्न : नियम एवं शर्तें

(अंकुर गर्ग) 14/09
प्रबन्धक (प्रशा0/हिन्दी)

सभी विभाग प्रमुख
सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक
सभी डिपो प्रबन्धक/यूनिट/अनुभाग अधिकारी
सभी नोटिस बोर्ड

प्रतिलिपिः– *कार्यकारी अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक कार्यालय को कृपया सूचनार्थ।*
प्रतिलिपिः– *प्रबन्धक (आई0टी0) मुख्यालय को दिपनि की वेबसाइड में अपलोड करने के लिए।*

Sub Coord. (IT)

हिन्दी सुलेख तथा हिन्दी निबंध प्रतियोगिताओं के लिए नियम एवं शर्तें:—

1— इन प्रतियोगिताओं में केवल निगम के कर्मचारी एवं अधिकारी ही भाग ले सकते हैं।

2— हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता के लिए दो वर्ग बनाये गए हैं। प्रथम वर्ग 'क' में अधिकारी/कर्मचारी तथा द्वितीय वर्ग 'ख' में केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित होंगे।

3— हिन्दी निबंध प्रतियोगिता के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर कर्मचारियों के अलग—अलग तीन वर्ग अर्थात् 'क', ख तथा 'ग' वर्ग बनाये गए हैं।

'क' वर्ग में स्नात्तक तथा स्नात्तक से अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले।

'ख' वर्ग में स्नात्तक से कम योग्यता रखने वाले तथा

'ग' वर्ग में केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही होंगे चाहे उनकी शैक्षिक योग्यता कुछ भी हो।

नोट:— तीनों वर्गों के लिए निबध का विषय अलग—अलग होगा। निबन्ध लिखने का समय डेढ़ घण्टा तथा अंक 100 होंगे। इसके अतिरिक्त निबंध कम से कम 400 शब्दों का होना चाहिए और भाषा सरल और स्पष्ट तथा विषयानुकूल होनी चाहिए।

4— प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्रमशः रू0 500/—, रू0 300/— तथा रू0 200/— की नकद राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जायेंगे। अन्य चयन किए गए प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जायेंगे।

5— प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान तथा उत्तीर्ण प्रतियोगियों का चयन मूल्यांकन समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद अथवा शिकायत के निपटान के बारे में मुख्य महाप्रबन्धक (हिन्दी) का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

6— उक्त दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए निम्नलिखित 3 परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं। कर्मचारी इन परीक्षा केन्द्रों में से अपनी सुविधानुसार किसी भी समय किसी एक परीक्षा केन्द्र पर जाकर इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। निर्धारित समय की समाप्ति के पश्चात् किसी भी कर्मचारी को इन प्रतियोगिताओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

परीक्षा केन्द्र:—

1— पीरागढ़ी डिपो

2— प्रशिक्षणशाला, नन्दनगरी डिपो परिसर

3— हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ डिपो

नोट:— प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों में सुलेख प्रतियोगिता 11.00 बजे से 16.00 बजे तक 5—5 मिनट के अंतराल पर तथा निबंध प्रतियोगिता के लिए 11.00 से 12.30 बजे तक तथा 12.30 बजे से 14.00 बजे तक एवं 14.30 बजे से 16.00 बजे तक होगी।

7— उत्तर पुसितकाएं परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध होंगी। निबंध का विषय एवं सुलेख की सामग्री परीक्षा केन्द्र पर ही बतायी जाएगी। कर्मचारी को प्रतियोगी परीक्षा देने से पूर्व उत्तर पुस्तिका पर अपना नाम,पदनाम,वे0टो0सं0 तथा डिपो/यूनिट/अनुभाग कार्यालय का उल्लेख अवश्य करना चाहिए ताकि कर्मचारी का प्रशस्ति पत्र/प्रमाण पत्र तैयार करते समय कोई कठिनाई न हो।

6— प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रत्येक वर्ग में इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगी में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं वे अगले वर्ष की प्रतियागिता में केवल उससे उपर के पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिये पात्र होंगे।

9— प्रशस्ति पत्र अथवा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

10— कोई भी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में किसी भी प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकता है लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जाएगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी।

11— राजभाषा विभाग, दि0प0नि0 को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध में और पुरस्कारों की संख्या राशि, स्थान और तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

12— प्रतियोगिता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप दूरभाष सं0—23370236 एक्स.278 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

———————————————